प्रेस विज्ञप्ति
31.07.2026

ईडी ने रहेजा डेवलपर्स मामले में धन-विपथन का किया खुलासा; 782.36 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की अचल संपत्तियों की कुर्की के संबंध में एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित मौजूदा बाज़ार मूल्य लगभग 782.36 करोड़ रुपये है।

ईडी मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, इसके निदेशक नवीन एम. रहेजा व अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच कर रही है। उक्त मामला कई घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से संबंधित है, जिनके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी।

जांच के दौरान, यह पता चला है कि मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने आवासीय इकाई देने के बहाने शुरू की गई विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं के सिलसिले में लगभग 4,600 घर खरीदने वालों से लगभग 2,425.99 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई।

इससे पहले, 28.04.2026 के पीएओ के माध्यम से लगभग 1,113.81 करोड़ रुपये की अनुमानित बाज़ार कीमत वाली संपत्तियों को कुर्क किया गया था, और उसके बाद 15.06.2026 के पीएओ के माध्यम से 503.48 करोड़ रुपये की कीमत वाली संपत्तियों को कुर्क किया गया। मौजूदा अनंतिम कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित बाज़ार मूल्य लगभग 2,399.65 करोड़ रुपये हो गया है।

आगे की जांच जारी है।